



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची



e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो0ब0-07 / 2020- 57

दिनांक : 27/01/21

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ दुमका वन प्रमण्डल/ राँची वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/ जामताड़ा वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल रु0 754.829 लाख (सात करोड़ चौवन लाख बेरासी हजार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-32 / 2020-22 / स्वी0 व0प0 दिनांक 19.01.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0ब0-32 / 2020-37 / आ0 व0प0 दिनांक 21.01.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 754.829 लाख (सात करोड़ चौवन लाख बेरासी हजार नौ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	533.740
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	221.089
कुल :-		754.829

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2, स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796580103 एवं 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

10. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।

11. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ परियोजना, वन अनिं रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

13. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

14. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटन पर तैयार करायें।

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल / भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

16. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

17. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरीडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

21. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया



जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समसमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वनिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/योबो-07/2020- 57 दिनांक- 27/01/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/राँची/ गुमला/जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/योबो-07/2020- 57 दिनांक- 27/01/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ दुमका/ लातेहार/ गढ़वा/ साहेबगंज/ गुमला/ जामताड़ा/ सरायकेला-खरसावां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			47955.10	19864.36	67819.46
i	ii	iii	iv	v	vi
1	साठवाठ प्रमण्डल, राँची	150	✓ 71.932	✓ 29.797	101.729
2	साठवाठ प्रमण्डल, आदित्यपुर	125	✓ 59.943	✓ 24.830	84.773
3	साठवाठ प्रमण्डल, चाईबासा	100	✓ 47.955	✓ 19.864	67.819
4	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	200	✓ 95.910	✓ 39.729	135.639
5	साठवाठ प्रमण्डल, लातेहार	120	✓ 57.546	✓ 23.837	81.383
6	साठवाठ प्रमण्डल, गढ़वा	100	✓ 47.955	✓ 19.864	67.819
7	साहेबगंज वन प्रमण्डल	68	✓ 32.609	✓ 13.508	46.117
8	दुमका वन प्रमण्डल	50	✓ 23.978	✓ 9.932	33.910
9	राँची वन प्रमण्डल	50	✓ 23.978	✓ 9.932	33.910
10	गुमला वन प्रमण्डल	50	✓ 23.978	✓ 9.932	33.910
11	जामताड़ा वन प्रमण्डल	50	✓ 23.978	✓ 9.932	33.910
12	सरायकेला वन प्रमण्डल	50	✓ 23.978	✓ 9.932	33.910
योग :-		1113	533.740	221.089	754.829



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेएक्ट) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	बन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं	स्थल / पास का नाम	जी०पी०एस० को-ऑडिनेट्स	प्लॉट संख्या	रक्वा (हेक्टेएक्ट में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	रौची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, रौची	साठवाठ० प्रक्षेत्र, तमाङ्ड	सिल्ली	सिल्ली-०९	अजयगढ़	N-२३° ४२'५२" E-८५° ०३'५५"	3, 4, 46, 154, 156, 393	50
			साठवाठ० प्रक्षेत्र, लोहरदगा	कुद्द	कुद्द-४८	गोतीलगढ़	N-२३° २८'०५" E-८४° ५३'४७"	372	40
				कुद्द-१९	विश्वामित्र/विश्वामगढ़	N-२३° ३३'३५" E-८४° ४६'३४.१"	258	30	150
2	जमशेदपुर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	साठवाठ० प्रक्षेत्र, घाटशिला		घाटशिला-१२८९	कोल्हान-७१७	घाटशिला-१२८९	1, 181, 293	30
					घाटशिला-१२०५	घाटशिला-१२०५	घाटशिला-१२०५	आर०एफ०	45
						योग :-			125
3	चाईबासा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	साठवाठ० प्रक्षेत्र, मझगाँव		कोल्हान-२१४	इमिलिसिंगी		2817, 2818, 2819	50
								1163, 1144, 1137, 1140, 1, 2, 198, 21	50
						योग :-			100
4	टुमका	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, टुमका	साठवाठ० प्रक्षेत्र, रानेखर	आमजोड़ा-१५	बाँसबोना	N-२४° ००'५९.४" E-८७° २०'५७.२"	1, 19, 429, 915		25
				आमजोड़ा-२१	शाकाकान्दर	N-२४° ०१'३८.१" E-८७° २१'०३.६"	19, 49, 78		
				साठवाठ० प्रक्षेत्र, टुमका	रांगमसलिया-६	N-२४° १०'५१" E-८७° ०९'४८"	1, 449, 450, 480, 853, 870, 1054, 1085	25	
					मसलिया	गोडमाला-०१	टुमडुगी	N-२४° ०५'५१" E-८७° ११.२८"	45

क्र० सं०	जिला का नाम	वन पक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	आना/ नं०	स्थल / ग्राम का नाम	जी०पी०एस० को०-ऑफिसेर०	प्लॉट संख्या	रक्वा (हे० मे०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	x
	हिजला पूर्णी प्रक्षेत्र, रानेश्वर तुमका	हिजला पूर्णी प्रक्षेत्र, रानेश्वर	धनबासा-18	रेशमा	N-24° 09'22" E-87° 24'34.5"	99, 636, 1136, 1138, 740, 779, 805	25	
योग :-								
9	राँची राँची वन प्रमण्डल, भृद्म वन क्षेत्र, मण्डर	राँची पश्चिमी वन क्षेत्र, कांके भृद्म वन क्षेत्र, इडमू-39	सिसई	सिसई-59	समल		27, 42, 43, 49, 75, 111, 119, 149, 287, 521, 626, 572	50
10	गुमला गुमला वन प्रमण्डल,	गुमला वन क्षेत्र	सिसई	सिसई-59	समल			50
योग :-								
11	जामताड़ा जामताड़ा वन प्रमण्डल, नाला नारायणपुर	जामताड़ा वन प्रमण्डल, नाला नाला नारायणपुर	गोडिया-41 गोडिया-42 दक्षिणबहाल-28	मडली गोहनपुर जगलपुर	N-23° 53.370" E-086° 56.060" N-23° 52.200" E-086° 56.370" N-24° 02.210" E-086° 29.420"	1053, 2366, 2370, 2371 1847, 1918 25, 228, 257, 403, 412, 413	12 11 27	50
योग :-								
12	सरायकेला- खरसावा-	सरायकेला सरायकेला चापिडल	सरायकेला-168 चापिडल	कट्टापुर डोबो	N-22° 47'47" E-85° 54'42" N-23° 51'0.783" E-86° 9'44.13"	74पी० 234, 1137, 1143, 1155, 1231	25 25	50
सकल योग :-								
								1113

अपर प्रधान पुस्त्य वन सरकारी विकास
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-07/2020/57

दिनांक -

27-Jan-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71527	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	7,193,200.00 रुपये इकहत्तर लाख तिरनवे हजार दो सौ
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71531	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	5,994,300.00 रुपये उनसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ इकतीस लाख सित्यासी हजार पाँच सौ

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

13,187,500.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601796580103	71538	SGHFOR001	4,795,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI. MAHALING (I.F.S.)	रुपये सैतालीस लाख पिनचानवे
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	हजार पाँच सौ
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		
4	S 19 240601796580103	71545	DMKFOR003	9,591,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUSHIL SOREN (I.F.S.)	रुपये पिनचानवे लाख इनकानवे
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.S.F.DIVDUMKA	हजार
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		
5	S 19 240601796580103	71551	LTRFOR004	5,754,600.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SAUMITRA SHUKLA	रुपये सत्तावन लाख चौपन हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O. S.F.D LATEHAR	सौ: सौ
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		

योग:

20,141,100.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड़ तैलीस लाख अठाइस हजार छ: सौ

33,328,600.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71556	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	4,795,500.00 रुपये सैतालीस लाख पिनचानवे हजार पाँच सौ
7	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71558	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	3,260,900.00 रुपये बत्तीस लाख साहठ हजार नौ सौ
8	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71564	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	2,397,800.00 रुपये तेइस लाख सित्तानवे हजार आठ सौ
<hr/>				
योगः				10,454,200.00
क्रमिक योगः	रुपये चार करोड़ सैतीस लाख बयासी हजार आठ सौ			43,782,800.00
 (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71604	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	2,397,800.00 रुपये तेइस लाख सित्तानवे हजार आल सौ
10	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71611	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	2,397,800.00 रुपये तेइस लाख सित्तानवे हजार आल सौ
11	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71615	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	2,397,800.00 रुपये तेइस लाख सित्तानवे हजार आल सौ

योग:


क्रमिक योग:

रुपये पैंच करोड़ नौ लाख छहत्तर हजार दो सौ


7,193,400.00

50,976,200.00

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71621	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA	2,397,800.00 रुपये लेइस लाख सित्तानवे हजार आठ सौ
13	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71626	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	2,979,700.00 रुपये उन्तीस लाख उन्नासी हजार सात सौ
14	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71628	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	2,483,000.00 रुपये चौहास लाख तिरासी हजार
<hr/>				
योग:				7,860,500.00
क्रमिक योग:	रुपये पाँच करोड़ अठ्यासी लाख छत्तीस हजार सात सौ			58,836,700.00
 (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकारी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71630	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार सौ
16	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71635	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S.) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	रुपये उनचालीस लाख बहतर हजार सौ सौ
17	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71639	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF	रुपये तेइस लाख तिरयासी हजार सात सौ
<hr/>				
योग:				8,343,000.00
ऋग्मिक योग:	रुपये छ: करोड इकहत्तर लाख उन्नासी हजार सात सौ			67,179,700.00
		(NAND KISHORE SINGH)		
		ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71641	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	1,986,400.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार सौ
19	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71652	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	1,350,800.00 रुपये तेरह लाख पचास हजार आठ सौ
20	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71654	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	993,200.00 रुपये नौ लाख तिरनावे हजार दो सौ
<hr/>				
योगः				4,330,400.00
क्रमिक योगः	रुपये सात करोड़ पंद्रह लाख दस हजार एक सौ			71,510,100.00
 (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71657	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO, RANCHI FORES DIVISION RA	993,200.00 रुपये नौ लाख तिरनावे हजार दो सौ
22	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71659	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	993,200.00 रुपये नौ लाख तिरनावे हजार दो सौ
23	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71662	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA	993,200.00 रुपये नौ लाख तिरनावे हजार दो सौ

योगः

2,979,600.00

क्रमिक योगः

रुपये सात करोड चवालीस लाख नवासी हजार सात सौ

74,489,700.00

(NAND-KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF, DEV, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	S 19 240601796580323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं समग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	71665	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	993,200.00 रुपये नौ लाख तिरनावे हजार दो सौ

योग:

993,200.00

क्रमिक योग:

रुपये सात करोड चौपन लाख बयासी हजार नौ सौ

75,482,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND